भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2066

उत्तर देने की तारीख : 31.07.2025

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग

2066. श्रीमती प्रतिमा मण्डल:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उद्यम पंजीकरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए/अपनाए जाने वाले विशिष्ट उपाय क्या हैं और ग्रामीण एवं अनौपचारिक क्षेत्रों में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को प्रभावी ढंग से शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं;

(ख) खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के कार्यनिष्पादन एवं संचालन को सुदृढ़ करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और पारंपरिक उद्योगों को समकालीन बाजारों से किस प्रकार जोड़ा जा रहा है; और

(ग) ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) के कार्यान्वयन एवं प्रभाव से संबंधित आंकड़ों का ब्यौरा क्या है, जिसमें सबसे अधिक लाभान्वित होने वाले क्षेत्र और राज्य शामिल हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : दिनांक 1 जुलाई, 2020 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय ने लागत रहित, कागज रहित तथा पूर्णतया डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उद्यम पंजीकरण पोर्टल (यूआरपी) की शुरुआत की थी। अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए, सिडबी के सहयोग से दिनांक 11.01.2023 को उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत की थी, जो नामित एजेंसियों के माध्यम से इन आईएमई को प्लेटफॉर्म पर शामिल करता है।

एमएसएमई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा एमएसएमई/संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के उद्योग विभागों तथा एमएसएमई हितधारकों के साथ मिलकर औपचारिकीकरण अभियानों का आयोजन किया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों एवं औपचारिक क्षेत्रों सहित पूरे देश में सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रभावपूर्ण रूप से शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। इसके अतिरिक्त मंत्रालय की पहल यशस्विनी के तहत महिलाओं के स्वामित्व वाले उद्यमों को शामिल करने के लिए विशेष अभियानों का आयोजन किया गया है।

(ख) : केवीआईसी के कार्यनिष्पादन तथा गवर्नेंस को सुदृढ़ करने के लिए निम्न पहलें की गई हैः

i. केवीआईसी ने महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिकीकरण संस्थान (एमगिरि)/वर्धा जो खादी और ग्रामीण उद्योग संस्थानों के लिए नवोन्मेष, विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंटरवेंशन, गुणवत्ता मार्गदर्शन तथा उद्यमिता सहायता के संवर्धन पर फोकस करते हुए एक समर्पित अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान है, के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं।
ii. संशोधित बाजार विकास सहायता (एमएमडीए) खादी क्षेत्र में उत्तरदायित्व, उत्पादकता तथा कारीगरों के कल्याण हेतु दिनांक 01.10.2016 को शुरू की गई थी। एमएमडीए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन सहायता है।

iii. 'मौजूदा खादी संस्थानों (केआई) की अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ़ करना तथा विपणन अवसंचरना सुविधाओं के लिए सहायता' के तहत, अपनी अवसंरचना सुविधाओं को सुदृढ करने तथा खादी सेल्स ऑउटलेट्स की मरम्मत हेतु कमजोर खादी संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

iv. 'खादी कारीगरों के लिए वर्कशेड स्कीम' बेहतर कार्य परिवेश प्रदान करने हेतु व्यक्तिगत तथा समूह वर्कशेडों के निर्माण हेतु सहायता प्रदान करती है।

v. केवीआईसी जरूरतमंद केआई को सिलिवर/रोविंग के रूप में विभागीय सिलिवर संयंत्रों (सीएसपी) से कच्चा माल आपूर्ति के लिए क्रेडिट पर कच्चा माल सहायता प्रदान करता है। केआई को आपूर्ति किए गए कच्चे माले के उत्पादन तथा गुणवत्ता को बढ़ाने हेतु, चित्रदूर्ग/कर्नाटक तथा कुट्टूर/केरल में सीएसपी का आधुनिकीकरण किया गया है। कारीगरों और केआई को समय से तथा गुणवत्तापरक कच्चा माल तक विश्वसनीय पहुंच सुनिश्चित करने के किए बीकानेर/राजस्थान हाजीपुर/बिहार में कच्चा माल बैंक भी स्थापित किए गए हैं।

पारंपरिक उद्योगों को समसामयिक बाजार के साथ जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी केंद्र (निफ्ट), नई दिल्ली के साथ हब और स्पोक मॉडल पर खादी के लिए उत्कृष्ट केंद्र (सीओईके) स्थापित किया गया है। सीओईके खादी संस्थानों को डिजाइन और उत्पाद विकास, क्षमता निर्माण सहायता प्रदान करता है। केवीआईसी रिटेल ऑउटलेटों, राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मस तथा शहरी क्षेत्रों में खादी लाउंज के माध्यम से खादी उत्पादों का संवर्धन करता है।

(ग) : सीएलसीएसएस का लक्ष्य इस स्कीम के तहत विशिष्ट उप-क्षेत्रों/अनुमोदित उत्पादों में सुस्थापित तथा बेहतर प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए उनके द्वारा उपलब्ध कराएं गए संस्थागत वित्त प्राप्त करने पर एमएसई को 15 प्रतिशत की अपफ्रंट पूंजीगत सब्सिडी प्रदान कर सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) में प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना था। जैसाकि सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी घटक केवल दिनांक 31.03.2020 तक प्रचालन में थी। इस स्कीम में वर्ष 2001-02 में स्कीम की शुरुआत से 5685.87 करोड़ रुपए की कुल पूंजीगत सब्सिडी के साथ लगभग 87,989 इकाईयां लाभान्वित हुई है।

****